

क्रमांक 3322047 / छ.ग. / 2013 / पार्ट-5 / अ
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक /02/2015

:- कार्यालयीन आदेश :-

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक 505/2175/22/वि-3/ग्रा.यां.से./2013 दिनांक 23.01.2015 द्वारा श्री एच.पी. तोण्डे, उपअभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग, बलौदाबाजार की सेवायें मूल विभाग (जल संसाधन विभाग) को वापस किये जाने के परिप्रेक्ष्य में कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, बलौदाबाजार के आदेश क्रमांक 349/स्था./ग्रा.या.से./2014-15 दिनांक 24.02.2015 को भारमुक्त किये जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा दिनांक 25.02.2015 को इस कार्यालय में कार्यग्रहण किया गया है।

अतः उनके उपस्थिति प्रतिवेदन को मान्य करते हुए उन्हें कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा के अधीन पावर प्लांट उपसंभाग, दर्री/कोरबा में रिक्त पद के विरुद्ध अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

हस्ता/-
प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर
दिनांक 03/03/2015

पृष्ठांकन क्रमांक 3322047 / छ.ग. / 2013 / पार्ट-5 / अ / 2972
प्रतिलिपि :-

1. मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर।
2. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, रायपुर मंडल, रायपुर।
4. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल, बिलासपुर।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलौदाबाजार/रायपुर (छ.ग.)।
6. कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, बलौदाबाजार।
7. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोरबा।
8. कार्यपालन अभियंता, एम.आई.एस. यूनिट, स्टेट डाटा सेन्टर, रायपुर।
9. अनुविभागीय अधिकारी, पावर प्लांट उपसंभाग, दर्री/कोरबा।
10. संबंधित श्री एच.पी. तोण्डे, उपअभियंता (सिविल) द्वारा कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर।
11. मास्टर नस्ती।
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर
03/03/15

